महत्वपूर्ण एवं खास

डंफर और ट्रेलर आपस में भिड़े, डॉयल 112 की मिली मदद

न्याय साक्षी/रायगढ़। घरघोड़ा राइनो को रोड एक्सीडेंट का इवेंट प्राप्त हुआ जिस पर घरघोड़ा राइनो अल्मीडीह नर्सरी घटनास्थल पर पहुंची जहां डंफर और ट्रेलर सीजी 07 एडब्ल्यू 2904 आमने सामने से टकराये हुये थे। ट्रेलर का चालक वाहन को घटनास्थल पर छोड़कर भाग गया था तथा डंफर का चालक दुकालू सारथी पिता नकुल सारथी उम्र 30 वर्ष निवासी कचकोबा थाना तमनार को चोटें आई थी जिसे घरघोड़ा राइनो आरक्षक अरविंद पटनायक द्वारा सीएससी घरघोड़ा में भर्ती कराया गया।

सरिया पुलिस की आर्म्स एक्ट की कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना सरिया में पदस्थ प्रधान आरक्षक धनेश्वर उरांव द्वारा दिनांक 06.08.19 को टाउन पेट्रोलिंग रोड बंदोबस्त ड्यूटी दौरान मुखबिर से मिली सूचना पर हमराह स्टाफ के साथ खजरिया तालाब के पास अहमद खान पिता कपिल खान उम्र 32 वर्ष साकिन विश्वासपुर सरिया को एक हाथ में धारदार लोहे का कत्ता लेकर लहराते लोगों को डराते-धमकाते हुए हिरासत में लिया गया। आरोपी अहमद खान के विरूद्ध थाना सरिया में 25 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की गई है।

अज्ञात व्यक्ति ने मारूती कार में लगाई आग, आगजनी का जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना भूपदेवपुर में ग्राम देवरी में रहने वाले ताराचंद यादव पिता कुन्ज राम यादव उम्र 43 वर्ष ग्राम देवरी पो. डोंगीतराई द्वारा कि दिनांक 05.08.19 को दरम्यानी रात को इसके घर के सामने में खडी गाडी मारूती बिग्रेज आर क्रमांक सीजी-04 एच-0189 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगा देने की रिपोर्ट दर्ज कराया है, रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 121/19 धारा 435 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

ट्रक ने मारी कार को टक्कर, एक की मौतए एक गंभीर

न्याय साक्षी/रायगढ़। सारंगढ़ कमलानगर वार्ड नंबर 11 में रहने वाला गनपत चौहान पिता राम प्रसाद चौहान उम्र 34 वर्ष दिनांक 06.08.2019 के शाम करीब 07:00 बजे अपनेस्वोल्ड नीले रंग का नया स्वीफ्ट डिजायर में अपने साथी कमल श्रीवास ,पप्पू सिदार के साथ काम से सारंगढ़ टाउन एवं सरसींवा रोड की तरफ गया हुआ था। वाहन को गनपत चौहान चला रहा था कि दिनांक 07.08.2019 के रात्रि करीब 12:15 बजे वापस घर आते समय रानीसागर के पास दस चक्का ट्रक क्रमांक सीजी 04 जेबी 9516 के चालक ने ट्रक को उपेक्षापूर्वक चलाते हुये गनपत चौहान के वाहन को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया जिससे गनपत चौहान और वाहन में बैठे गनपत के साथी कमल श्रीवास फौत हो गये तथा पप्पू सिदार साकिन सारंगढ़ को ईलाज हेतु रायगढ़ रिफर किया गया है। घटना के संबंध में थाना सारंगढ़ में अप.क्र. 337/19 धारा 279,337,304 (ए) आईपीसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

सुने मकान का ताला तोड़कर चोरी

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस चौकी कनकबीरा के ग्राम भकुर्रा में रहने वाला लक्ष्मीप्रसाद नायक पिता स्व.रामजी नायक उम्र 35 वर्ष राजमिस्त्री का कार्य करता है। दिनांक 06.08.19 को सुबह लक्ष्मीप्रसाद के तीनो बच्चे पढ़ने स्कूल चले गये थे। लक्ष्मीप्रसाद नायक ओर उसकी पत्नि गांव मे ही वन विभाग के प्लांटेशन में बालू एवं गिट्टी नापने गये हुये थे। काम से दोपहर करीब 12:30 बजे दोनो पति पत्नी घर आये तो देखे घर के पीछे का दरवाजा खुला पड़ा था , कमरे का ताला भी टूटा हुआ था कमरे अंदर घुसकर देखा तो कमरे में रखे पेटी का ताला तोड़कर अज्ञात चोर दो नग सोने की माला करीब 02 तोला ,02 जोडी पायल चांदी का 01 तोला ,चांदी का चुडी 02 नग ,बिछिया एवं नगदी रकम 2000 रूपये को चोरी कर ले गया था। चोरी के रिपोर्ट पर थाना सारंगढ़ (चौकी कनकबीरा) में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 338/19 धारा 354,380 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना छाल के अप.क्र. 127/2019 धारा 354,354(क)324 आईपीसी 12 पाक्सो एक्ट के आरोपी रवीदास पिता नोहर दास उम्र 22साल सा बोकरामुडा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी द्वारा दिनांक 03.08.19 के दोपहर दिशा मैदान जा रही 16 वर्षीय बालिका को अपने साथ जबरन ले जाने के लिये बुरी नियत से खींचातान कर रहा था। बालिका के विरोध करने पर उसके भुजा एवं कलाई में पर ब्लेड से मारकर चोट पहुंचा था।

सहायक ग्रेड-3 संदीप कुमार श्रृंगी पर धोखाधड़ी का जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। आवेदक पदम नारायण पटेल आत्मज श्री निराकार पटेल निवासी धनगार एवं अन्य द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षिरत शिकायत पत्र की जांच नगर पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा किया गया है, जांच में अनावेदक संदीप कुमार श्रृंगी द्वारा आवेदक एवं उसके साथियों से विभिन्न पदो पर नियुक्ति दिलाने के लिये फर्जी आदेश पत्र तैयार करके दिया गया था एवं धोखाधडी कर कुल 31 लाख रूपये का ठगी किया जाना पाया गया। शिकायत जांच पर से अनावेदक संदीप कुमार श्रृंगी पिता राजेन्द्र कुमार श्रृंगी निवासी मिड्डुमुडा रायगढ के विरूद्ध दिनांक 06.08.19 को थाना कोतवाली में अप.क्र. 590/19 धारा 420 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

सर्किट हाउस के पास एसबीआई के एटीएम में चोरी

» एटीएम उखाड़कर 26 लाख 50 हजार ले उड़े चोर » बैंक की लापरवाही आयी सामने, न तो गार्ड था ना ही आलार्म

न्याय साक्षी/रायगढ़। शहर के सर्किट हाऊस सेंट्रल स्कूल के सामने स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम से अज्ञात चोरों ने 26 लाख 50 हजार रुपये कैश चुरा लिए। सेंट्रल स्कूल के सामने स्थित एसबीआइ एटीएम से चोरों ने बुधवार की रात इतनी बड़ी रकम पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के मुताबिक एटीएम को उखाड़कर कैश बाक्स समेत लाखों रुपए चोरी कर फरार हो गए। चोरी की जानकारी होते ही बैंक व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। इस दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। एटीएम में न तो अलार्म ठीक से काम कर रहे हैं और न ही एटीएम में सीसीटीवी कैमरे, इतना हीं नहीं एटीएम में तो गार्ड भी नहीं था। बैंकों की इस लापरवाही ने पुलिस की परेशानी बढ़ा दी है। पुलिस मौके पर पहुंचकर चोरी के इस बड़े मामले की तफ्तीश कर रही है। इस मामले में बैंक प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है।

इस मामले में मौके पर पहुंचे एसपी राजेश अग्रवाल ने रायगढ़ टॉप न्यूज को बताया कि चोरो ने बारिश और सूने पन का फायदा उठाते हुए इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस पूरे मामले की बारिकी से जांच कर रही है। वहीं उनका कहना था कि लगातार बैंकों को सीसीटीवी व गार्ड सहित सुरक्षा संबंधी सभी इंतजाम करने के लिए समझाइश दी गई थी।। पुलिस ने जिले में चारों तरफ के रास्तों को सील कर दिया है।रायगढ़ एसपी ने बताया बहुत जल्दी ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

आरपीएफ ने गिराई टिकट दलाल पर गाज

» ऑपरेशन थंडर 2 के तहत 36 टिकट के साथ पकड़ाया

न्याय साक्षी/रायगढ़। एक बार फिर आरपीएफ ने ऑपरेशन थंडर के तहत मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देशन में बिलासपुर मंडल में रायगढ़ ,चाम्पा, कोरबा, बिलासपुर, पेंड्रा, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, में छापेमारी कर बीस से अधिक टिकट दलालों को पकड़ने में अहम कामयाबी हासिल की है रायगढ़ में एक दलाल आरपीएफ के हत्थे चढ़ा है। इस सबंध में आरपीएफ रायगढ़ पोस्ट प्रभारी एम एल यादव ने बताया कि आज दिनांक 7 अगस्त को बिलासपुर मंडल सुरक्षा आयुक्त ऋषि कुमार शुक्ला के निर्देशन में आरपीएफ रायगढ़ के अलावे चाम्पा,कोरबा,बिलासपुर ,पेंड्रा, अनूपपुर, शहडोल,उमरिया,में छापेमारी कर बीस टिकट दलालों को पकड़ने में आरपीएफ की विशेष टीमो ने गिरफ्तार करने में अहम कामयाबी हासिल की है रायगढ़ आरपीएफ को मिले इनपुट में के आधार पर तीन जगह निगरानी लगाई गई थी जिसमे एक युवक अतुल स्वर्णकार पिता भरत लाल स्वर्णकार उम्र 29 साल सेठीनगर बोईरदादर रोड थाना चक्रधरनगर में अतुल ट्रेवलर्स एन्ड कम्प्यूटर के नाम से संचालित करता है को आरपीएफ ने अपने शिकंजे में कसने एक आदमी के माध्यम से रेल्वे टिकिट बनवाने भेजा था जैसे ही अतुल टिकट बना रहा था तो अचानक आरपीएफ टीम के उपनिरीक्षक द्रव देवेन्द्र शास्त्री ,सतीश कुमार एवं टीम ने रंगे हाथ

गिरफ्तार किया उसके कब्जे से चार पर्सनल आईडी पर कुल 36 नग टिकट कीमत 21560 रुपये की बरामदगी की गई उसके पास रेल्वे द्वारा अधिकृत कोई भी आईडी नही थी आरपीएफ ने आरोपी के खिलाफ रेल्वे अधिनियम की धारा 143 के तहत मामला दर्ज कर उसके दुकान में टिकिट बनाने में इस्तेमाल किये जाने वाले उपकरणों लेपटाफ,प्रिंटर,मोबाइल जप्त कर कार्यवाही की जा रही है जमानती मुचलका पर आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया और मामले की जांच उपरांत केस को रेलवे कोर्ट बिलासपुर में पेश किया जाएगा।

नशे की हालत में किया कीटनाशक का सेवन, डायल 112 ने पहुंचाया अस्पताल

न्याय साक्षी/रायगढ़। भूपदेवपुर राइनो को मेडिकल इमरजेंसी के इवेंट पर ग्राम किरीतमाल रवाना किया गया। ग्राम किरीतमाल में रहने वाले रघुराम पाव पिता करगुल पाव उम्र 40 वर्ष नशे की हालत में कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया था जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। इवेंट पर मौके में पहुंचे राइनो आरक्षक पालेंद्र कंवट द्वारा आहत को रायगढ़ में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।

रकम दुगना करने का लालच देकर ठगी करने वाले 10 व्यक्तियों पर कोतवाली में तीन प्रकरण दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। (1) ग्राम रायकेरा के कुछ ग्रामीणों की भूमि एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहित किये जाने पर मुआवजा राशि प्राप्त हुआ था। गांव वालों को अरूण आग्रे पामगढ का तथा शीतल नायक उरबा तमनार के द्वारा बताये कि हरिश शर्मा, अभिषेक चौहान, प्रबल प्रताप सिंह यादव के प्राईवेट बैंक रायगढ में काम करते है। उसमें रकम जमा कराने पर 6 साल में डबल रकम मिलेगा। उनके अनुसार गांव के कई करीब 23 व्यक्तियों ने वर्ष 2013 में रकम रायगढ शाखा में जमा कराये थे। समय पूरा होने पर रायगढ़ आकर पता किये तो शाखा बंद कर हरिश शर्मा, अभिषेक चौहान, प्रबल प्रताप सिंह यादव चारों भाग गये है।

(2) ग्राम गीधा के ग्रामीणों को वर्ष 2011 में रायपुर के सरफराज और अजय सिदार गांव आकर बताये कि सेन्टल बैंक में ब्याज कम है 1. जावेद मेमन 2. मो जुनेद 3. मो खलीद साकिनान

अनमोल टावर 171/अ/2 महात्मा फुले स्कुल के सामने वैशाली नगर नागपुर महाराष्ट के प्राइवेट बैंक अनमोल इंडिया शाखा कृष्णा कम्पलेक्स जगतपुर रायगढ में है जिसमें एक साथ रूपये जमा करने पर साढे 5 साल में रकम दोगुना मिलेगा। इनके झांसे में आकर गांव का प्रौढ कुमार पटेल और सुरूति लाल लाखों रूपये जमा किये थे। कम्पनी इनके साथ धोखाधड़ी कर फरार हो गयी है।

(3) ग्राम चपले के ग्रामीणों को वर्ष 2013 में एडीवी आरोग्य धन वर्षा चिटफंड कंपनी में अन्य बैंकों से ज्यादा ब्याज मिलेगा कहकर उनके परिचितों द्वारा बताये जाने पर गांव के कुछ ग्रामीणों द्वारा साढे पांच साल में रकम दोगुना करने के लिये रायगढ के इतवारी बाजार में पत्रिका समाचार कार्यालय के नीचे तल में स्थित आरोग्य धन वर्षा कंपनी के आफिस में आकर जमा किये थे। कम्पनी के 1. रघवीर सिंह राठौर अध्यक्ष एडीवी चिट फंड कंपनी मेन आफिस उज्जैन 2. जगदीश चन्द्र व्यास निवासी कराडिया आलोट जिला रतलाम म.प्र. 3. धर्मेन्द्र सिंह सोनगरा निवासी बडनगर जिला उज्जैन म.प्र. 4. राजेन्द्र सिंह सिसोदिया निवासी आलोट जिला रतलाम म.प्र. रायगढ शाखा बंद कर फरार हो गये है। शिकायत आवेदन पर धारा 420,34 भादंवि एवं छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 की धारा 6 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

शासकीय उचित मूल्य की दुकान में चोरी

न्याय साक्षी/रायगढ़। ग्राम सामारूमा के सरपंच लक्ष्मी प्रसाद सिदार द्वारा आज दिनांक 07.08.19 को शासकीय उचित मूल्य की दुकान सामारूमा से अज्ञात चोर द्वारा दिनांक 06-07/08/19 के दरम्यानी रात दुकान लगभग 62 क्विंटल, शक्कर 2.10 क्विंटल को चोरी कर ले गया है। सरपंच द्वारा अज्ञात चोरों द्वारा किसी वाहन में लोड कर सामान चोरी कर ले जाने की आशंका व्यक्त किया है। चोरी के रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 139/19 धारा 457,380 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं० 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु० सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐश्वर्या श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी सकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

आवश्यकता है

CAREER SCHOOL

अंग्रेजी माध्यम (English Medium) में कक्षा 8 वीं, 9वीं एवं 10वीं के लिए

गणित एवं अंग्रेजी विषय हेतु अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है।

वेतन योग्यतानुसार

मिलने का समय- सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक

अभ्यार्थी अपना संपूर्ण बायोडाटा के साथ उपस्थित होवें।

CAREER SCHOOL

श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, रायगढ़

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन "हेडलबर्ग" से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग. संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480